



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 601 राँची, बुधवार,

21 दिसम्बर, 2022 (ई०)

पर्यटन] कला-संस्कृति] खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2022

खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका

संख्या &क्री०नी०&07@यो० एवं उपा०&14@2022 33-विभागीय संकल्प संख्या&04 दिनांक 10-06-2022 द्वारा स्वीकृत "झारखण्ड खेल नीति&2022" की कंडिका & 7.6 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय@जोनल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय भागीदारी के लिए राज्य के खिलाड़ियों को निम्नवत् आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी:--

1. झारखण्ड खेल नीति 2022 की कंडिका & 7.6(i) में वर्णित प्रावधानों के आलोक में भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों द्वारा आयोजित विभिन्न मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय@राज्य@जोनल प्रतियोगिता में राज्य स्तरीय भागीदारी के लिए राज्य के खिलाड़ियों को यात्रा भत्ता] महंगाई भत्ता तथा खेल सामान के लिए सहायता दी जायेगी ।
2. उक्त सहायता राशि प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय@जोनल प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए राज्य स्तर पर चयनित खिलाड़ियों@टीम द्वारा झारखण्ड खेल प्राधिकरण में अपने जिले के जिला खेल पदाधिकारी के माध्यम से आवेदन समर्पित किया जा सकेगा। जिला खेल पदाधिकारी इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर अपने स्तर से संबंधित राष्ट्रीय@जोनल प्रतियोगिता की मान्यता के जाँचोपरान्त प्राप्त आवेदन को अपनी अनुशंसा के साथ कार्यकारी निदेशक] झारखण्ड खेल प्राधिकरण को अग्रसारित करेंगे ।
3. प्राप्त आवेदनों के आधार पर कार्यकारी निदेशक] झारखण्ड खेल प्राधिकरण] राँची द्वारा संबंधित खिलाड़ियों को झारखण्ड खेल नीति 2022 के कंडिका & 7.6(i) के अधीन यात्रा व्यय] खेल सामग्री एवं भोजनादि पर व्यय के लिए सहायता राशि शीघ्र उपलब्ध करायी जाएगी ।
4. संबंधित खिलाड़ी द्वारा राष्ट्रीय@जोनल प्रतियोगिता में भागीदारी से वापस लौटने के उपरांत यात्रा व्यय] एवं रास्ते में भोजनादि पर व्यय से संबंधित मूल अभिश्रव तथा संबंधित टीम@दल के मैनेजर@प्रशिक्षक द्वारा एक प्रतिवेदन कार्यकारी निदेशक] झारखण्ड खेल प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जाएगी ।
5. झारखण्ड खेल प्राधिकरण से राष्ट्रीय@जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी हेतु सहायत राशि प्राप्त होने के उपरांत यदि किसी खिलाड़ी अथवा टीम द्वारा किसी कारणवश भागीदारी नहीं की जाती है] तो उस परिस्थिति में संबंधित खिलाड़ी को उन्हें प्राप्त राशि अविलम्ब झारखण्ड खेल प्राधिकरण को वापस करनी होगी ।
6. उक्त योजना हेतु राशि का विकलन राज्य स्कीम बजट मुख्य शीर्ष & 2204 & खेलकूद तथा युवा सेवाएँ & उप शीर्ष & 50 & अंतरराष्ट्रीय से पंचायत स्तर तक का खेल प्रतियोगिता@आयोजन@भागीदारी एवं साहसिक खेल & विस्तृत शीर्ष & 07 & अन्य व्यय & प्राथमिक इकाई & 61 & क्रीड़ा प्रोत्साहन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
